

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर
नाम पीठासीन अधिकारी:- श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

प्रार्थी
1. रूगाराम पुत्र जयराम 2
दीपाराम पुत्र जयराम 3 उदाराम
पुत्र जयराम 4 आसूदेवी पत्नी
चेतनराम 5 खेताराम पुत्र चेतनराम
6 आदूराम पुत्र चेतनराम 7
तेजाराम पुत्र चेतनराम 8 प्रकाश
पुत्र चेतनराम जाति कुम्हार
निवासीयान बीबड़ा तहसील एवं
जिला बाड़मेर

बनाम विप्राथीगण
1 सारो पुत्री अगाराम 2 गीरो पुत्र अगाराम
3 गोमी पुत्री अगाराम 4 हरखाराम पुत्र
रावताराम 5 बालाराम पुत्र रावताराम 6
दमाराम पुत्र मानाराम 7 ठाकराराम पुत्र
मानाराम 8 मेवाराम पुत्र गंवाराम 9 पोकरराम
पुत्र गंवाराम 10 ईशाराम पुत्र गंवाराम 11
जोगाराम पुत्र बगताराम 12 खेमाराम पुत्र
बगताराम 13 खरथाराम पुत्र बगताराम 14
नरपतराम पुत्र बगताराम 15 हरसूदेवी पत्नी
बगताराम 16 कलूदेवी पत्नी प्रतावाराम 17
मांगीलाल पुत्र प्रतावाराम 18 तेजाराम पुत्र
प्रतावाराम 19 देवाराम पुत्र प्रतावाराम
नावालिंग जरिये कुदरती बलिया माता
कलूदेवी विप्राथीनी संख्या 6 जातियान कुम्हार
निवासीयान बीबड़ा, वि० सं० 01 से 03 हाल
बांदरा तहसील एवं जिला बाड़मेर, 20
गहेशाराम पुत्र करनाराम जाति जाट निवासी
असाड़ा की बेशी तहसील व जिला बाड़मेर 21
बक्साराम पुत्र अब्दुलाखां 22 हिन्दालखां पुत्र
अब्दुलाखां 23 इस्माइलखां पुत्र अब्दुलाखां
जातियान मुसलमान निवासीयान बीबड़ा
तहसील एवं जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या-12/2022 दिनांक-17.02.2022

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा बीबड़ा पटवारी हल्का बोला तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खरारा
नम्बर 145/47 रकबा 61.05 बीघा, 156/5 रकबा 43.16 बीघा कुल रकबा 105.01 बीघा के चारो
तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त
किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्राथीगण को जरिये नोटिस/पत्र
सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकदमा कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर शीमांकन व
पत्थरगद्दी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) कर
पदाकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार
पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बाड़मेर

दिनांक- 17/02/2022

क्रमांक/रीडर/2022/33-36

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथी अवश्य अंकित करे।
2. पटवारी बोला को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथी को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावे।
3. प्रार्थी रूगाराम पुत्र जयराम 2 दीपाराम पुत्र जयराम 3 उदाराम पुत्र जयराम 4 आसूदेवी पत्नी चेतनराम 5 खेताराम पुत्र चेतनराम 6 आदूराम पुत्र चेतनराम 7 तेजाराम पुत्र चेतनराम 8 प्रकाश पुत्र चेतनराम जाति कुम्हार निवासीयान बीबड़ा तहसील एवं जिला बाड़मेर
4. विप्राथी 1 सारो पुत्री अगाराम 2 गीरो पुत्र अगाराम 3 गोमी पुत्री अगाराम 4 हरखाराम पुत्र रावताराम 5 बालाराम पुत्र रावताराम 6 दमाराम पुत्र मानाराम 7 ठाकराराम पुत्र मानाराम 8 मेवाराम पुत्र गंवाराम 9 पोकरराम पुत्र गंवाराम 10 ईशाराम पुत्र गंवाराम 11 जोगाराम पुत्र बगताराम 12 पुत्र गंवाराम 13 खरथाराम पुत्र बगताराम 14 नरपतराम पुत्र बगताराम 15 हरसूदेवी पत्नी खेमाराम पुत्र बगताराम 16 कलूदेवी पत्नी प्रतावाराम 17 मांगीलाल पुत्र प्रतावाराम 18 तेजाराम पुत्र प्रतावाराम 19 देवाराम पुत्र प्रतावाराम नावालिंग जरिये कुदरती बलिया माता कलूदेवी विप्राथीनी संख्या 6 जातियान कुम्हार निवासीयान बीबड़ा, वि० सं० 01 से 03 हाल बांदरा तहसील एवं जिला बाड़मेर 20 गहेशाराम पुत्र करनाराम जाति जाट निवासी असाड़ा की बेशी तहसील व जिला बाड़मेर 21 बक्साराम पुत्र अब्दुलाखां 22 हिन्दालखां पुत्र अब्दुलाखां 23 इस्माइलखां पुत्र अब्दुलाखां जातियान मुसलमान निवासीयान बीबड़ा तहसील एवं जिला बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बाड़मेर



Plc
1 सि 3 प्राप्त